राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1240/2015/बीकानेर

मैसर्स श्रीबाबा रामदेव फाइबर कूलर प्रोडक्ट
रेल्वे लाइन के पास, भगवान पुरा बीकानेर .....**अपीलार्थी.**

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, खण्ड– द्वितीय, बीकानेर .....**प्रत्यर्थी.**

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :
श्री शफी मोहम्मद चौहान
अभिभाषक। .....**अपीलार्थी की ओर से.**

श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अभिभाषक। .....**प्रत्यर्थी की ओर से.**

दिनांक : 22.05.2017

निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा गया है) के अपील सं. 466/आरवैट/बीकानेर/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2015 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के तहत् प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2011–12 चारों तिमाही रिटर्न समय पर प्रस्तुत किये परन्तु केवल वार्षिक रिटर्न वेट–10ए समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 24.12.2013 को वेट वेट नियम 19ए के तहत निर्गतकर का 30 प्रतिशत रूपये 30,020/– विलम्ब शुल्क का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.03.2015 को अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार कर दी गयी। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.03.2015 से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गयी हैं।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2011–12 के चारों तिमाही रिटर्न समय पर प्रस्तुत कर दिये थे किन्तु कम्प्यूटर में तकनीकी समस्या के कारण वार्षिक विवरण प्रपत्र VAT-10A प्रस्तुत करने में विलम्ब होने के कारण

लगातार.....2.

22/05/17

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर नियम 19ए के तहत् विलम्ब शुल्क का आरोपण किया गया, जो कि विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया कि वर्ष 2011–12 का वार्षिक विवरण प्रपत्र पेश करने की अन्तिम दिनांक 27.05.2013 थी तथा लेट फीस के संबंध में नियम 19ए के प्रावधान में संशोधन दिनांक 06.03.2013 को कर दिया गया था।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क रहा है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट नियम 19ए के तहत शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को शास्ति आरोपण बावत् विशिष्ठि नोटिस जारी नहीं किये जाने के कारण शास्ति का आरोपण प्रथम दृष्टया विधिविरूद्ध किया गया था। जबकि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 48 अनुसार कोई भी आदेश पारित किये जाने से पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपीलीय अधिकारी ने भी उक्त विधिक स्थिति को नजर अंदाज करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने में त्रुटि की है। उक्त तर्कों के परिपेक्ष में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का आगे यह भी तर्क रहा है कि नियम 19ए के संशोधित प्रावधान जो अलौच्य अवधि 2011–12 के लिये प्रवृत थे उसके अनुसार मासिक करदाता के विरूद्ध 100 रूपये प्रतिदिन जो अधिकतम 25000/– रूपये तक का विलम्ब शुल्क आरोपित किया जा सकता है। जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 30,020/– का विलम्ब शुल्क आरोपित किया गया है जिसकी अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि की गयी है, जो विधि विरूद्ध है। अपने तर्को के समर्थन में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये, जो निम्न प्रकार है:–

1. **राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की अपील संख्या 334/2014/जोधपुर मैसर्स हिमदरी इलेक्ट्रोनिक्स, जोधपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 28.01.2015**
2. **राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की अपील संख्या 1327/2014/जोधपुर मैसर्स बालाजी फार्मा डिस्ट्रब्यूटर्स जोधपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जोधपुर निर्णय दिनांक 20.04.2016**

6. प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 21 सपठित नियम

22/05/17

लगातार.....3.

19ए के तहत विलम्ब शुल्क का आरोपण विधि अनुसार किया गया था, जिसकी पुष्टि किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः उक्त तर्को के परिपेक्ष में विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. उभय पक्ष की लिखित एवं मौखिक बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2011–12 चारों तिमाही रिटर्न समय पर प्रस्तुत किये परन्तु केवल वार्षिक रिटर्न वेट–10ए समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 24.12.2013 को वेट नियम 19ए के तहत रूपये 30,020/– विलम्ब शुल्क का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.03.2015 को अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार कर दी गयी।

9. आलौच्य अवधि वर्ष 2011–12 के वार्षिक विवरण प्रपत्र VAT-10A को प्रस्तुत की अन्तिम तिथि दिनांक 27.05.2013 थी किन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 24.12.2013 को कर निर्धारण आदेश पारित किये उक्त आदेश पारित किये जाने तक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वार्षिक विवरण प्रपत्र VAT-10A प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.12.2013 को विलम्ब शुल्क के संबंध में प्रवृतनीय प्रावधान लागू होगे। जिसके संबंध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 19ए का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :–

19A Late Fee :- *Where a dealer furnishes the return after the presecibed time, he shall pay a late fee of - (F.12(11)FD/Tax2013-104 dt. 06-03-2013 w.e.f. 01-04-2013)*

(i) Rupees One Hundred per day subject to a maximum of rupees Twenty Five Thousand, in case the dealer is requied to pay tax for each month or part there of under section 20 of the Act.

(ii) Rupees Fify per day subject to a maximum of rupees One Thousand, in case there is no turnover of the dealer during the period under return, and

(iii) Rupees Fify per day subject to a maximum of rupees Five Thousand, in all other cases.

10. माननीय उच्चतम न्यायालय के **मायारानी पुंज के निर्णय (1986) 157 आई.टी.आर. 330** के अनुसार विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब के बिन्दु पर शास्ति आरोपण के विषय में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में चालू रहने वाला व्यतिक्रम उस दिन समाप्त होता है, जिस दिन विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है या जिस दिन कर निर्धारण

22/05/17

लगातार.....4.

आदेश पारित किया जाता है। विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब हेतु शास्ति के प्रावधान व्यतिक्रम समाप्त होने वाले दिन जो प्रभावशील है, वे लागू होंगे। विलम्ब के परिणामस्वरूप भुगतान योग्य दायित्व किसी भी नाम से होने पर यह सिद्धान्त लागू होता है। अतः इस आधार पर विलम्ब शुल्क जमा कराने का दायित्व Consequential Quantification किये जाने योग्य है।

11. बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम करना निरन्तरता को प्राप्त एक व्यतिक्रम है। यह व्यतिक्रम विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की विहित अंतिम तिथि से प्रारम्भ होता है तथा जिस तिथि को विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है, उस तिथि को व्यतिक्रम समाप्त होता है। जिस तिथि को निरन्तर रहने वाला व्यतिक्रम समाप्त होता है, उस दिन जो विलम्ब शुल्क के प्रावधान प्रभावी हैं, उस विलम्ब शुल्क के प्रावधान के अनुसार विलम्ब शुल्क की राशि Quantify की जावेगी।

12. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की यह अपात्ति रही है कि विलम्ब शुल्क अधिरोपित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश में बावजूद नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने के कारण उल्लेख किया है। यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि नियम 48 के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व व्यवहारी को सुनना आज्ञापक है। जबकि वर्तमान प्रकरण में प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नियम 19A के अनुसार शुल्क अधिरोपित किया गया है न कि शास्ति। विलम्ब शुल्क के आरोपण से पूर्व सुनवाई हेतु नोटिस दिये जाने को कोई आज्ञापक प्रावधान नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करने की आपत्ति सारहीन है।

13. अपीलार्थी व्यवहारियों को नियम 19ए की पालना में विहित लेट फीस का भुगतान करना है। यह लेट फीस विहित समयावधि के पश्चात विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की परिस्थिति में Consequential (पारिणामिक) प्रभाव का परिणाम है। लेट फीस स्वमेव पारिणामिक दायित्व है, जिसकी गणना उसके कर जमा कराने की श्रेणी के आधार पर की जायेगी। वर्ष 2011—12 के लिये प्रवर्तनीय नियम 19ए के प्रावधानों के अनुसार मासिक कर दाता की श्रेणी में होने पर यह विलम्ब शुल्क 100/— रूपये प्रतिदिन जो अधिकतम रूपये 25,000/— तक हो सकेगा तथा मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं होने पर लेट फीस 50/— रूपये प्रतिदिन जो अधिकतम रूपये 5,000/— हो सकेगा।

14. अपीलार्थी व्यवहारी मासिक करदाता है अतः नियम 19A के प्रावधानों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त वर्ष 2011—12 की वार्षिक विवरण प्रपत्र VAT-10A प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण विलम्ब शुल्क का आरोपण किया जाना विधि सगत

22/05/17

लगातार..................5.

है। मासिक करदाता के विरूद्ध विलम्ब शुल्क 25,000/– रूपये से अधिक आरोपित नहीं किया जा सकता। किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्गतकर का 30 प्रतिशत 30,020/– रूपये का विलम्ब शुल्क आरोपित किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की विलम्ब शुल्क की राशि की पुष्टि करने में विधिक त्रुटि कारित की है।

15. इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी मासिक करदाता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2011–12 का वार्षिक विवरण प्रपत्र VAT 10A प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 27.05.2013 थी। जिससे कर निर्धारण आदेश की दिनांक 24.12.2013 तक प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके लिये नियम 19ए के तत्समय प्रवृत प्रावधानों के अनुसार 25,000/– रूपये विलम्ब शुल्क देय होता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

16. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलीय आदेश दिनांक 26.03.2015 एवं कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.12.2013 को अपास्त किया जाता है तथा कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.12.2013 में आंशिक संशोधन कर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2011–12 का वार्षिक विवरण प्रपत्र 10A प्रस्तुत नहीं करने से व्यवहारी के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर नियम, 2006 के नियम 19A के अधीन विलम्ब शुल्क 30,020/– रूपये के स्थान पर 25,000/– रूपये आरोपित किया जाता है।

17. निर्णय सुनाया गया।

22/05/17

(राजीव चौधरी)
सदस्य